प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्डप्रकिया संहिता)

1. **जिला–** भ्रनिब्यूरो, चौकी, कोटा शहर, कोटा **थाना**–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर
2. प्र0इ0रि0 सं. ....451/2022.......... दिनांक........25/11/2022
3. अधिनियम व धाराऐ:–
   (I)●अधिनियम– धाराये. – .7, 7 ए
   भ्रष्टाचार निवारण **(संशोधित) अधनियम 2018**
   (II) ●अधिनियम ..**भारतीय दण्ड संहिता.....** धारायें–..... **120 बी..........**
   (III)●अधिनियम .... धारायें ....
   (IV)●अन्य अधिनियम एवं धाराये.................................
4. रोजनामचा एवं घटना तिथि का विवरण:–
   (अ) ●रोजनामचा आम रपट संख्या ....434 समय–.........3:00 P.M.
   (ब) ●अपराध घटने का दिन (वार) ......बुधवार...... दिनांक– ....23.11.2022.....समय–...05.44 पीएम...
   (स) ●थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक–......17.11.2022...... समय–............................
5. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिकः– .लिखित
6. घटनास्थल :–
   (अ)●पुलिस थाना से दिशा व दूरी :–**उत्तर 70 कि.मी.** दक्षिण दिशा
   (ब)●घटनास्थल का पता :– पटवार हल्का कार्यालय, खेराबाद, रामगंजमण्डी, कोटा।
   (स) ●बीट संख्या....................... जुयरामदेही सं.................
   (द) ●यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   ●पुलिस थाना .... जिला ....
7. परिवादी / सूचनाकर्ता–
   (अ) ●नाम :– श्री राजेश कुमार राठोर
   (ब) ●पिता/पति का नाम :– स्व0 श्री दुर्गाशंकर राठौर
   (स) ●जन्म तिथी/वर्ष :– जाति तेली उम्र 28 साल
   (द) ●राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) ●पासपोर्ट संख्या .... ●जारी होने की तिथि.............................
   ●जारी होने की जगह ....
   (र) ●व्यवसाय :– कास्तगार
   (ल) ●पता :– निवासी राजेश किराना एण्ड जनरल स्टोर, वार्ड नं0 3, भीलो की बस्ती ग्राम मण्डा तहसील खैराबाद जिला कोटा
8. ज्ञात/अज्ञातसंदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरासम्पूर्णविशिष्टयोंसहित:–
   1. श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश सादीजा उम्र 43 साल जाति सन्धी निवासी– 2 F 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा एवं
   2. आरोपी लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति जो कि आरोपिया का मुंशी है)
9. परिवादी/सूचना कर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का :– नही कारण
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित :– हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).
11. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :– 9000 रूपये
12. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) :–
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

दिनांक 17.11.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी श्री राजेश कुमार राठोर पुत्र स्व0 श्री दुर्गाशंकर राठौर जाति तेली उम्र 28 साल निवासी राजेश किराना एण्ड जनरल स्टोर, वार्ड नं0 3, भीलो की बस्ती ग्राम मण्डा तहसील खैराबाद जिला कोटा से मय श्री प्रमोद राठोर पुत्र श्री रमेश चन्द राठौर जाति तेली उम्र 30 साल निवासी नारायण टाकीज के पास, सीमेन्ट रोड, वार्ड न0 11 रामगंज मण्डी कोटा एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं रामगंजमण्डी में ग्राम मण्डा का रहने वाला हूँ। मेरे गॉव में किराने की दुकान है तथा खेती

का भी कार्य करता हूँ। मेरे दादाजी श्री देवी लाल जी (देवा पुत्र श्री बाला) की जमीन दान पत्र से दी थी। मैं इन्तकाल खुलवाने के लिए पटवारी प्रीति जी से मिला तो उन्होनें कहा कि तीन हजार रूपये देने होंगे, तब मैनें कहा कि दो हजार रूपये ले लिजिये। पटवारी प्रीति जी ने दो हजार रूपये लेने से मना कर दिया और कमी निकालते हुऐ मुझसे कहा कि वकील से शुद्विकरण करवाने की जरूरत नही है मैं 12,000 रूपये में सारा काम करा दुंगी। मुझ पर पटवारी प्रीति जी ने कई बार पैसो का दबाव बनाया है मैं अपने जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से प्रीति जी से मेरे निजी दुश्मनी, लेन देन बकाया नही है पटवारी प्रीति जी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ पकडने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही के आदेश देते हुऐ परिवादी श्री राजेश व सहपरिवादी श्री प्रमोद परिचय कराया तथा परिवादी द्वारा हस्तलिखित शिकायत मुझे सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजेश मय सहपरिवादी श्री प्रमोद राठोर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं मजीद दरयाफ्त सें परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित होना बताया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद की। प्रार्थना पत्र परिवादी ने इस आशय का पेश किया कि मैं रामगंजमण्डी में ग्राम मण्डा का रहने वाला हूँ। मेरे गॉव में किराने की दुकान है तथा खेती का भी कार्य करता हूँ। मेरे दादाजी श्री देवी लाल जी (देवा पुत्र श्री बाला) की जमीन दान पत्र से दी थी। मैं इन्तकाल खुलवाने के लिए पटवारी प्रीति जी से मिला तो उन्होनें कहा कि तीन हजार रूपये देने होंगे, तब मैनें कहा कि दो हजार रूपये ले लिजिये। पटवारी प्रीति जी ने दो हजार रूपये लेने से मना कर दिया और कमी निकालते हुऐ मुझसे कहा कि वकील से शुद्विकरण करवाने की जरूरत नही है मैं 12,000 रूपये में सारा काम करा दुंगी। मुझ पर पटवारी प्रीति जी ने कई बार पैसो का दबाव बनाया है मैं अपने जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से प्रीति जी से मेरे निजी दुश्मनी, लेन देन बकाया नही है पटवारी प्रीति जी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ पकडने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एंव मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः सत्यापन करवाने हेतु मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर, परिवादी राजेश मय सहपरिवादी श्री प्रमोद राठोर का मुकेश सैनी कानि. 71 सें परिचय करवाया जाकर उनको डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधी समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपिया से होने वाली रिश्वत सम्बधिंत वार्ता को इस डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। परिवादी मय सहपरिवादी के हमराह श्री मुकेश कानि 71 को हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मोडक, रामगंजमण्डी व चेचट क्षेत्र हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपुदर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की। **समय 09.30 पी0एम0** पर श्री मुकेश सैनी कानि. 71 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आया तथा कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं परिवादी व सह परिवादी के साथ रामगंजमण्डी तहसील कार्यालय के पास पंहुचा जहॉ परिवादी मय सहपरिवादी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर तहसील कार्यालय के अन्दर चले गये थे मैं बाहर ही रूक गया था। कुछ समय पश्चात परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आये तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द अवस्था में पेश कर बताया कि मैं व सहपरिवादी तहसील कार्यलय में पटवारी श्रीमती प्रीति जी के कार्यालय में गये जहॉ पटवारी श्रीमती प्रीति जी एवं उनके मुंशी लेखराज जी मिले उनसे मेरे कार्य सम्बधिंत वार्ता हो गई है उन्होनें कहा कि मैं आपका काम कर दुगीं लेकिन पटवारी जी ने पैसो की स्पष्ट बात नही की है तथा पटवारी जी ने मुझे सोमवार 21.11.2022 को दुबारा बुलाया है। पटवारी जी एवं हमारे मध्य हुई सभी वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिकॉर्ड हो गई है, जिसे मैने बाहर आकर बन्द कर लिया था। परिवादी ने बताया कि हमें आवश्यक कार्य होने व रात्री होने के कारण अब कोटा चलने में असमर्थ है। इस पर मैं मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर रवाना हो कार्यालय हाजा उपस्थित आया हूँ। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। कानि को दिनांक 21.11.2022 को पुनः मांग सत्यापन वार्ता हेतु पाबन्द किया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 21.11.2022 समय 09.30 ए.एम.पर मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर, पूर्व में पाबन्दशुदा श्री मुकेश कानि 71 को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी सें रामगंजमण्डी जाकर सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर मोडक रामगंजमण्डी रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय **07.00 पी0एम0 पर** श्री मुकेश सैनी कानि. 71 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आया तथा कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर जरिये फोन परिवादी सें वार्ता कर मैं परिवादी व सह परिवादी सें रामगंजमण्डी तहसील कार्यालय के बाहर मिला। परिवादी श्री राजेश को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया। उसके बाद परिवादी श्री राजेश डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर मय सहपरिवादी श्री प्रमोद के तहसील कार्यालय के अन्दर गया, मैं बाहर ही रूक गया था। कुछ समय पश्चात परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आये तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर

मय मैमोरी कार्ड के बन्द अवस्था में पेश कर बताया कि मैं व प्रमोद तहसील कार्यालय में स्थित पटवारी श्रीमती प्रीति जी के कार्यालय में गये जहॉं पटवारी श्रीमती प्रीति जी एवं लेखराज मीणा मिले जो पटवारी जी का मुंशी का काम करता है। उनसे मेरे कार्य सम्बधिंत व रिश्वत संबंधी वार्ता हो गई है उन्होनें कहा कि आपके काम के लिए आप लेखराज से जाकर बात करो, इस पर हम दोनों लेखराज जी सें जाकर मिले तो लेखराज ने हमारे जमीन के म्यूटेशन के कम में शुद्धि करवाने के संबंध में कहा तथा इसके एवज में पटवारी मेडम के लिए रिश्वत राशि के लिए बाद में फोन करके बताने के लिए कहा। सभी वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। जिसे मैने बाहर आकर बन्द कर लिया था। परिवादी ने बताया कि हमारे आवश्यक कार्य होने व रात्री होने के कारण अब कोटा चलने में असमर्थ है। इस पर मैं मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर रवाना हो कार्यालय हाजा उपस्थित आया हूॅं। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा श्री मुकेश कानि. को कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई गई।

दिनांक 22.11.2022 समय 11.00 ए0एम0 पर रिश्वत राशि लेकर आने के संबंध में पटवारी श्रीमति प्रिती के मुशी लेखराज का किसी भी समय फोन आने की संभावना होने से ट्रेप कार्यवाही के लिए श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 को अग्रिम कार्यवाही हेतु गवाहान की तलबी हेतु एक पत्र तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द करने हेतु रवाना किया। समय करीब **12.20 पी0एम0** पर श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 दो कार्मिक श्री महेश चितौडा पुत्र स्व श्री कैलाश चितौडा जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी मकान न0 558 सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा हाल सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिवल्लभ शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी के आर 164 सिविल लाईन नयापुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा को अग्रिम कार्यावाही हेतु पाबन्द कर वापस आया । **समय 02.47 पी0एम0 पर** सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर ने जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि पटवारी के मुंशी लेखराज का राजेश के पास फोन आया है उसने 10,000/रूपये रिश्वत राशि को लेकर कल बुलाया है, राजेश ने उससें रिश्वत राशि कुछ कम करने के संबंध में कहा तो लेखराज ने रिश्वत राशि कम ज्यादा करने के संबंध में कल दिनांक 23.11.2022 को फोन कर बताने के लिये कहा है उसने कल ही पैसे लेकर बुलाया है तथा लेखराज एवं राजेश के मध्य हुई इस मोबाईल वार्ता को राजेश ने इसके मोबाईल में रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर सहपरिवादी को मय परिवादी के आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये लेकर मय मोबाईल में रिकॉर्ड वार्ता के कल सुबह 8.00 ए.एम. पर कार्यालय आने की हिदायत की गयी। **समय 02.50 पी0एम0 पर** सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर ने बताया हैं कि पटवारी के मुंशी लेखराज ने रिश्वत राशि 10,000/रूपये लेकर कल बुलाया है। जिस पर पूर्व में पाबन्दशुदा कार्मिक श्री महेश चितौडा पुत्र स्व श्री कैलाश चितौडा जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी मकान न0 558 सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा हाल सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिवल्लभ शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी के आर 164 सिविल लाईन नयापुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा को कल दिनांक 23.11.2022 को समय 8.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा आने के लिये जर्ये मोबाईल पाबन्द किया गया।

दिनांक 23.11.2022 समय 08.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री राजेश कुमार मय सह परिवादी श्री प्रमोद राठोर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 08.05 ए0एम0 पर पूर्व में पाबंदशुदा कार्मिक श्री महेश चितौडा एवं श्री मनोज कुमार गौतम एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा से श्री रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक मय श्री धनश्याम कानि.चालक मय सरकारी वाहन टवेरा के पृथक-पृथक कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 08.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री राजेश एवं सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर का परिचयश्री महेश चितौडा सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा से करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। दोनो कार्मिको से ट्रैप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाही गयी जिस पर दोनो गवाहान ने सहमति व्यक्त करते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 08.15 ए0एम0 पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को मालखाने से निकलवाया जाकर दिनांक 17.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता, जो उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मे लगे मेमोरी कार्ड sandisk 8GB में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फाईल 221117_1502 को श्री योगेन्द्र सिहं कानि. 282 से सरकारी लेपटॉप में डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को लगाकर लेपटोप का स्पीकर चालु कर परिवादी व सहपरिवादी एव स्वतंत्र गवाहान् श्री महेश चितौडा सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा को सुनाया गया। परिवादी श्री राजेश ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड

वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी सहपरिवादी प्रमोद राठौर एवं अन्य आवाज आरोपिया श्रीमती प्रीति पटवारी एवं मुशी– लेखराज की होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राजेश राठौर एवं सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर की उपस्थिति मे लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से नियमानुसार मुर्तिब करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 09.45 ए0एम0 पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.11.2022 को रिकॉर्ड हुई वार्तायें जो उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मे लगे मेमोरी कार्ड sandisk 8GB में रिकॉर्ड की थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फाईल 221121_1455 & 221121_1554 को श्री योगेन्द्र सिहं कानि. 282 से सरकारी लेपटॉप का स्पीकर चालु कर परिवादी व सहपरिवादी एव स्वतंत्र गवाहान् श्री महेश चितौडा सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा को सुनाया गया। परिवादी श्री राजेश ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड दोनों वार्ताओं में एक आवाज अपनी व दूसरी सहपरिवादी प्रमोद राठौर एवं अन्य आवाजें आरोपिया श्रीमती प्रीति पटवारी एवं लेखराज मुशी की होना पहचान कर बताया।उक्त वार्ताओ की दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राजेश राठौर एवं सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर की उपस्थिति मे लेपटॉप पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से पृथक–पृथक नियमानुसार मुर्तिब करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.36 ए0एम0 पर परिवादी श्री राजेश के मोबाईल नम्बर 9251147184 पर आरोपी लेखराज के मोबाईल नम्बर 8003631312 से कॉल आने पर आरोपी लेखराज ने परिवादी को रिश्वत राशि के 9,000/हजार रूपये लेकर आज ही आने के लिये बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी को फोन का लाउड स्पीकर चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें बनाई जायेगी। समय 12.50 पी0एम0 पर परिवादी के मोबाईल में दिनांक 22.11.2022 को परिवादी एवं पटवारी प्रिती के मुंशी लेखराज के मध्य रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर आने के संबंध में वार्ता हुई थी जिसको परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड किया गया था। अतः मोबाईल में रिकॉर्ड उक्त वार्ता की फाईल वार्ता +918003631312 2022-11-22 13-40-08 AMR Fileको श्री योगेन्द्र सिहं कानि. 282 से मोबाईल को सरकारी लेपटॉप मेंकनेक्ट कर लेपटोप का स्पीकर चालु कर परिवादी व सहपरिवादी एव स्वतंत्र गवाहान् श्री महेश चितौडा सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में सें परिवादी श्री राजेश ने एक आवाज अपनी व दूसरी मुंशी– लेखराज की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट सरकारी लेपटोप पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से नियमानुसार मुर्तिब करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 1.00 पी0एम0 पर उपरोक्त रूबरू गवाहान के समक्ष श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री दुर्गाशंकर जाति तेली उम्र 28 साल निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने आरोपीया श्रीमती प्रीती खुबचन्दानी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच सो पांच सो रूपये के 18 नोट कुल राशि 9000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर इस प्रकार हैं–

क. सं	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 MB 001452
2.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 UK 270445
3.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KQ 814695
4.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UN 568367
5.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 VA 769732
6.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 NF 785676
7.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 FR 255583
8.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KA 413638
9.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 SE 191599
10.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BH 728653
11.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 FC 776568
12.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 GU 324758
13.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 LR 604104

14.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 RE 047203
15.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 AD 624001
16.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 SF 350936
17.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 NE 413653
18.	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KT 861104

उक्त नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने के लिए श्रीमती सरोज म. कानि 104द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई तत्पश्चात उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। श्री महेश चित्तौड़ा स्वतंत्र गवाह **से** परिवादी श्री राजेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल व कपडे के के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। श्रीमती सरोज म. कानि 104से आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 9000/– रू. फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती सरोज म. कानि 104के फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी की वह आरोपी से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोट को अपनी जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् ट्रेप पार्टी के सदस्यों की और अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करे। मालखाने से डिजीटल वाइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकावाकर चालू व बंद करने की विधि पुनः समझाकर वक्त रिश्वती लेन देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए हिदायत दी गयी। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमती सरोज म. कानि 104के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने मे काम लिया गया अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्रीमती सरोज म. कानि 104के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम में आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आस पास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपिया के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़ कर सुनाई गई। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत नियमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधितो से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 01.30 पी0एम0 पर_मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर मय जाप्ता श्रीमती अनीता वर्मा पुलिस निरीक्षक,श्री नरेन्द्र सिहं कानि.305 दोनों स्वतंत्र गवाहन् श्री महेश चितौडा सहायक लेखाधिकारी तहसील लाडपुरा जिला कोटा एवं श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा जिला कोटा मय परिवादी श्री राजेश व सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर के प्राईवेट वाहन से मय सरकारी व निजी लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स, ट्रैप मे काम आने वाली सामग्री के तथा श्री रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिहं वरिष्ठ सहायक, श्री देवेन्द्र सिहं कानि. 304,श्री योगेन्द्र सिहं कानि.282, श्री ब्रजराज सिहं कानि.159, श्री धनश्याम कानि चालक के सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 युसी 8905 से तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के लिये रवाना हुये। समय – 03.10 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर मय हमराहीयान पंचायत समिति रामगंजमण्डी जिला कोटा के पास पहुंचकर अपनी स्थिति छिपाते हुये मुकिम हुये। समय 03.25 पी0एम0 पर परिवादी श्री राजेश राठोर मय सहपरिवादी श्री प्रमोद राठोर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु करवाकर आरोपिया के कार्यस्थल पंचायत समिति रामगजंमण्डी कोटा रवाना किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराह ट्रैप पार्टी के परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की प्रतीक्षा में पंचायत समिति रामगजंमण्डी परिसर से आस पास अपनी स्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 03.31 पी0एम0 पर_परिवादी श्री राजेश राठोर मय सहपरिवादी श्री प्रमोद राठोर आरोपिया के कार्यस्थल पंचायत समिति रामगजंमण्डी कोटा से वापस आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर बताया कि आरोपिया पटवारी श्रीमती प्रीती व उनका मुंशी लेखराज अभी अपने कमरे में नही है आस पास पता किया तो पटवारी श्रीमती प्रीती मण्डा गांव गयी हुयी है तथा लेखराज भी नहीं है वह भी कही बाहर गया हुआ है। परिवादी ने बताया कि आरोपिया पटवारी व मुंशी लेखराज दोनों रामगंजमण्डी में ही रहते है। उनकी थोडी देर में आने की संभावना है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही ट्रैप पार्टी के

पंचायत समिति रामगंजमण्डी कोटा से गोपनीय स्थान के लिये रवाना हुये। समय 03.40 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही टैप पार्टी एवं परिवादी श्री राजेश राठोर मय सहपरिवादी श्री प्रमोद राठोर के पंचायत समिति रामगंजमण्डी कोटा से रवाना हो गोपनीय स्थान पर पंहुच आरोपिया पटवारी श्रीमती प्रीती एवं मुन्शी लेखराज के रामगंजमण्डी आने की प्रतीक्षा मे मुकीम हुये । समय 05.20 पी0एम0 पर_परिवादी श्री राजेश राठोर ने किसी से मालुमात कर बताया कि आरोपिया पटवारी श्रीमती प्रीती एवं मुंशी लेखराज दोनों खैराबाद पटवार मण्डल में आ गये है वो मुझ से वहां रिश्वत राशि ग्रहण कर लेगें। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही ट्रैप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहन मय परिवादी व सहपरिवादी के गोपनीय स्थान से पटवार मण्डल खैराबाद के लिये रवाना हुयी। समय 05.33 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पटवार मण्डल खैराबाद के आसपास पहुंचे परिवादी एवं सहपरिवादी ने कहा कि सांयकाल का समय हो गया हैं तथा हो सकता हैं वो घर पर जाने की जल्दी में हो इसलिए ये प्रमोद आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात आपको मोबाईल पर मिसकॉल कर देगा, तत्पश्चात परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड के चालु किया तथा पटवार मण्डल खैराबाद के अन्दर गये। मन पुलिस निरीक्षक एवं जाब्ता अपनी स्थिति छिपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 05.44 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष सहपरिवादी प्रमोद ने अपने मोबाईल सें मिसकॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का इशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक चन्द्रकवंर दोनों स्वतंत्र गवाह श्री महेश चित्तौडा एवं श्री मनोज कुमार गौतम एवं हमराही एसीबी जाब्ते के पैदल चलकर पटवार मण्डल खैराबाद के परिसर में अन्दर प्रवेश किया तो सामने ही परिवादी, सहपरिवादी एवं एक महिला एवं एक व्यक्ति जिसने नीले रंग की जिन्स पेन्ट एवं ग्रे रंग की प्रिन्टेड शर्ट पहनी हुई थी,खडे हुये मिले। परिवादी एवं सहपरिवादी के पास पहुंचकर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि ये ही पटवारी मेडम एवं लेखराज हैं ये हमे यंही पटवार घर के अन्दर मिल गये थे, हमने उनको कहा कि आपका ट्रांसफर हो गया हैं तथा हमारा काम नहीं रूक जाये इसलिए अभी आ गये हैं तो पटवारी मेडम ने कहा कि कितने दे रहे हो ये बताओ तो मैने उनको कहा कि पूरे ही हैं बात हुई जो फिर मैने रूपये गिनने के लिए कहा तो मेडम ने कहा अरे कोई बात नहीं हैं तथा फिर लेखराज ने मुझ सें 9,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रख लिये तथा फिर मेडम ने हमको हमारे कार्य के संबंध में पूर्व में हुई बातों के संबंध में कहा तथा अन्त में हमारा काम करने के लिए कहा, इसके बाद प्रमोद ने मिसकॉल करके आपको इनके द्वारा रिश्वत प्राप्त करने का इशारा किया, इस पर उक्त व्यक्ति एवं महिला को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उनका नाम पता पूछा तो महिला ने अपना नाम श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश सादीजा उम्र 43 साल जाति सिन्धी निवासी– 2 F 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा तथा व्यक्ति ने अपना नाम लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा तथा पटवारी जी के कार्य में सहयोग के लिए पटवारी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी के साथ होना बताया। श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी सें परिवादी के कार्य व उससें कार्य के बदले प्राप्त की गई राशि के बारे में पूछा तो श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी ने कहा कि मैने इससें कोई रूपये नहीं लिये इनके एवं लेखराज के मध्य क्या बात हुई मुझे पता नहीं हैं।

तत्पश्चात लेखराज सें पूछा तो लेखराज ने बताया कि ये पहले वकील के पास गये थे जब इनका काम नहीं हुआ तो ये इनके जमीन के लिए शुद्धिपत्र बनवाने के लिए मुझ सें मिले तथा इन्होने कहा वकील को पैसे देंगे इससें बढिया तो तुम मेडम सें बात करके पूरे पैसे तुम ही रख लेना तथा हमारा काम करवा दो तो मैने इनसें कहा था कि मैं मेडम सें बात करके बता दूंगा इसके बाद मैने मेडम सें पूछा तो इन्होने नो हजार रूपये के लिए कहा जिस पर मैने इसको फोन करके बताया था कि मेरी मेडम सें बात हो गई है उन्होने नो हजार रूपये लेकर आने के लिए कहा है, जिस पर ये अभी नो हजार रूपये लेकर आया था जो मैने अपने हाथ सें लेकर मेरी पेन्ट की बायी जेब में रखे है।
तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी।

आरोपी श्री लेखराज ने परिवादी सें रिश्वत के 9,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर अपनी पेंट की जेब में रखना बताया हैं, अत आरोपी लेखराज की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। पटवार घर के अन्दर लगे हुये आर.ओ. सें साफ पानी गवाह श्री महेश चित्तौडा सें मंगवाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर

डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी लेखराज के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गन्दमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आारोपी लेखराज की तलाशी लेने के लिए .स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार गौतम को कहा तो स्वंतत्र गवाह ने लेखराज की पेंट की बायी जेब सें पांच– पांच सौ रूपये के नोट निकालकर दिये, जिनको स्वतंत्र गवाहान सें गिनवाये गये तो वो पांच–पांच सौ रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये थे, उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान सें फर्द पेशकशी सें करवाया तो नोटों के नम्बरों का हूबहू मिलान हुआ, उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर विवरण अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया। पेन्ट की दाहिनी जेब में एक मोबाईल ओपो कम्पनी का मॉडल एफ–21 प्रो बरंग स्लेटी मय एक सीम कार्ड सीम कार्ड मोबाईल नम्बर 8003631312 एयरटेल कम्पनी की तथा आईएमईआई नम्बर प्रथम–862888052574378 तथा द्वितीय–862888052574360 मिला, उक्त मोबाईल सें लेखराज की परिवादी सें कार्य एवं रिश्वत के संबन्ध में वार्ता हुई हैं, अतः उक्त मोबाईल को मय सीम एक कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर LM अंकित कर संबन्धितों के थैली पर हस्ताक्षर करवाकर थैली को सील्ड मोहर कर वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया, लेखराज की पीछे के बायीं जेब की तलाशी में एक पर्स मिला जिसमें 1450 रूपये हैं, उक्त रूपयों को स्वंतत्र गवाह के पास सुरखित रखवाये गये तलाशी में अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई।

इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री लेखराज सें उसकी पहनी हुई पेंट को उतरवाकर दूसरी पेंट पहनने को दी गई तथा उतरवाई हुई पेंट की सामने की ऊपरी बांयी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबीहो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क P-1, P-2 तथा पेन्ट को सुखाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी सें पुनः परिवादी सें लेखराज द्वारा ली गई रिश्वत राशि एवं कार्य के संबन्ध में पूछा तो पटवारी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी ने कक्ष मे रखी हुई एक फाईल में सें एक कागज निकालकर दिया तथा कहा कि राजेश कुमार को इसके दादाजी देवी लाल जी ने इसको खसरा नम्बर 139 में सें एक भाग दान कर पंजीकृत कराने के लिए आवेदन' किया था, जिस पर रिपोर्ट ऑनलाईन प्राप्त हुई जिसमें दिशा अंकित नहीं होने सें उस पर नोट अंकित किया गया था कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी पंजीबद्ध दस्तावेज के खं.नं. 139 रकबा 0.07 की दिशा अंकित नहीं हैं और ना ही दानग्रहिता का कब्जा हैं नामान्तरण खारिज योग्य है। आक्षेप दुरूस्ती उपरांत पुनः दर्ज करने की अनुमति सहित नामा0 खारीज किया जाता है, इत्यादि रिपोर्ट कानूनगो द्वारा करके मेरे पास प्राप्त हुई थी, इसलिए मैने इनका म्यूटेशन नहीं खोला इसके बाद ये कई बार मेरे पास आये तो मैने इनको ये ही कहा आप जमीन में अपनी दिशा का शुद्धिकरण करवा लो मैं आपका काम कर दूंगी इसके बाद ये दो तीन दिन पहले मेरे पास आये थे तथा मुझ सें इस कार्य के लिए कहा तो मैने इनको ये ही कहा था कि शुद्धिपत्र बनवा लेना इसके अलावा मैने इनको कुछ भी नहीं कहा, लेखराज एवं इनके मध्य क्या बात हुई मुझे कुछ भी पता नहीं है, इस पर परिवादी ने पटवारी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रही है, मैने वकील सें बात करके मेरे कागज तैयार करवाकर रिपोर्ट भेज दी थी किन्तु रिपोर्ट में दिशा के संबंध में उल्लेख नहीं होने सें इन्होने मेरा नामान्तरण खारिज करवा दिया तथा मुझसें कहा कि मैने कहा था ना वकील के पास जाने सें काम नहीं होगा वकील का काम भी मैं ही करवा दूंगी मेरे व वकील के पैसे भी मुझे ही दे देना मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी तथा फिर इन्होने कहा कि लेखराज सें मिल लो वो जैसे कहे वैसे कर लेना जिस पर लेखराज सें मिला तो इसने कहा कि मैं मेडम सें बात करके बता दूंगा कितने पैसे देने हैं तथा फिर लेखराज ने कहा कि मेडम सें मेरी बात हो गई हैं मेडम ने नो हजार रूपये के लिए कहा हैं जिसमें वो सारा काम कम्पलीट करवा देंगी, इसके बाद अभी मैं यंहा इनसें मिला तो सबसें पहले मेडम नें आते ही पैसों के लिए ही पूछा

था तथा जब मैने अपनी जेब सें पैसे निकाले तो लेखराज को देने का इशारा किया तथां फिर मेरा काम जल्दी करने के लिए कहा। श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी द्वारा पेश कागज को मूल ही वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी की जामा तलाशी श्रीमति अनीता वर्मा, पुलिस निरीक्षक सें लिवाई गई तो श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी के पहने हुये कपडों सें कोई चीज दस्तयाब नहीं हुई, श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी के कार्यालय कक्ष सें एक हैण्ड बेग मिला, जिसको श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी ने अपना बेग होना जाहिर किया, बेग की तलाशी लिवाई गई तो उसमे एक काले रंग का पेन ड्राईव सोनी कम्पनी का 16 जीबी का, एक मोबाईल एम.आई. कम्पनी का मय दो सीम, एक एस.बी.आई. बैंक के खाता नम्बर 40590326485 के अकाउण्ट 19.01.2022 को अन्तिम बैलेन्स 5000 रूपये है, एक आईडेन्टीटी कार्ड जो भारत सरकार, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा सें जारी जिसमें श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी का पद, पता एम्पलोई नम्बर लिखा हुआ हैं। उक्त तलाशी में मिली वस्तुओं को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि आरोपी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी द्वारा परिवादी श्री राजेश कुमार के दादाजी द्वारा परिवादी राजेश कुमार को दान की गई जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के कम में दिशा का शुद्धिकरण करवाकर म्यूटेशन खोलने की एवज मे रिश्वत की मांग करना। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन रिश्वत के संबंध में परिवादी सें लेखराज सें बात करने के लिए कहने तथा लेखराज द्वारा रिश्वत की राशि के संबंध में मोबाईल पर 9,000 रूपये लेकर आने के लिए कहने तथा दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी द्वारा रिश्वत राशि के संबन्ध में बात करने तथा रिश्वत राशि परिवादी सें लेखराज को दिलाने तथा लेखराज द्वारा परिवादी सें लेन–देन संबंधी वार्ता कर रिश्वती राशि 9,000/रूपये अपने हाथ सें लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने तथा आरोपी लेखराज के हाथों के धोवन का रंग गन्दमैला व हल्का गुलाबी आने तथा रिश्वत राशि आरोपी लेखराज की पेंट सें बरामद होने तथा पेंट के धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश साडीजा उम्र 43 साल जाति सिन्धी निवासी– 2 F 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा एवं आरोपी लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी सें रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आरोपीगणों को पृथक–पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा एवं आरोपी के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। समय 7.45 पी.एम. पर परिवादी की निशांदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.00 पी0एम0 पर आज दिनांक 23.11.2022 को परिवादी श्री राजेश के मोबाईल नम्बर 9251147184 पर आरोपी लेखराज के मोबाईल नम्बर 8003631312 से कॉल आने पर आरोपी लेखराज ने परिवादी को रिश्वत राशि के 9,000/हजार रूपये लेकर आने के लिये बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी को फोन का लाउड स्पीकर चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई समय 8.10 पी. एम. पर स्वतत्रं गवाहान के समक्ष, परिवाद, सहपरिवादी एंव आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी एवं श्री लेखराज मीणा के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.45 पी..एम.पर इस समयआरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी व परिवादी श्री राजेश कुमार एंव सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर के मध्य दिनांक 17.11.2022, 21.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तायें तथा दिनांक 23.11.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी को नोटिस दिया गया तो आरोपिया ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहती हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.50 पी..एम.पर आरोपी लेखराजव परिवादी श्री राजेश कुमार एंव सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर के मध्य दिनांक 17.11.2022, 21.11.2022को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तायें तथा दिनांक 23.11.2022 को रिश्वत राशि लेन देन

तथा दिनांक 22.11.2022 को रिश्वत राशि के संबंध में तथा दिनांक 23.11.2022 को रिश्वत राशि 9,000 रूपये लेकर आने के संबंध में मोबाईल पर हुई वार्ता का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी लेखराज को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.00 पी.एम. पर आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश सादीजा उम्र 43 साल जाति सिन्धी निवासी– 2 F 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई. पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आरोपिया को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.15 पी.एम. पर आरोपी लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। **समय 10.30 पी.एम. पर** स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजेश कुमार एवं सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे परिवादी श्री राजेश कुमार एवं सहपरिवादी श्री प्रमोद राठौर व आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी, पटवारी पटवार मण्डल रीछडिया अतिरिक्त प्रभार मण्डा एवं प्राईवेट व्यक्ति पटवारी का मुंशी श्री लेखराज के मध्य दिनांक 17.11.2022 व 21.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 22.11.2022 को एवं दिनांक 23.11.2022 को रिश्वत के संबंध में मोबाईल पर हुई वार्ता जिन्हे मोबाईल एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था तथा दिनांक 23.11.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को सरकारी वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ताओं को पांच पेन ड्राईवश्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के द्वारा तैयार करवाये गये, डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड एंव मोबाईल से वार्ताओं को लेपटोप के ज़रिये कॉपी कर SanDisk 16 GB कम्पनी के 5 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे हुऐ मेमोरी कार्ड SanDisk Card 8 GB को निकालकर कवर मे रखकर कपडे की थैली मे सील्ड मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.45 पी.एम. पर श्री रमेशचंद आर्य, पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्ताशुदा आरोपिया श्रीमती प्रीती खुबचन्दानी एंव जाब्ता श्रीमति अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय कानि. ड्राईवर श्री घनश्याम के आरोपिया के हाल निवास किराये का मकान श्री मांगीलाल जी शर्मा इन्द्रप्रस्थ कोलोनी ब्लॉक बी, राधाकृष्ण मन्दिर के पास, रामगंजमण्डी जिला कोटा के लिए रवाना किया। समय 11.20 पी.एम. पर श्री रमेशचंद आर्य, पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्ताशुदा आरोपिया श्री मती प्रीती खुबचन्दानी एंव जाब्ता श्रीमति अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय कानि. ड्राईवर श्री घनश्याम के गये हुये। आरोपिया के हाल निवास किराये का मकान श्री मांगीलाल जी शर्मा इन्द्रप्रस्थ कोलोनी ब्लॉक बी, राधाकृष्ण मन्दिर के पास, रामगंजमण्डी जिला कोटा स्थित आरोपिया के किराये के कमरे की खानात लाशी कर मय खानात लाशी रिपोर्ट के पटवार मण्डल खैराबाद बाद आये वापस आये। समय 11.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्ताशुदा आरोपीगण श्री मती प्रीती खुबचन्दानी एवं लेखराज मीणामय एसीबी जाब्ता तथा ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शिशियां छः, एक मोबाईल का पैकिट, पेन्ट का पैकिट,नामान्तरण संबंधित पत्र, 5 पैन ड्राइव जिसमे 4 शील्डशुदा एवं 1 अनशील्ड,1 शील्डशुदा मैमोरी कार्ड का पैकिट, रिश्वती राशि 9,000 रूपये, सहित प्राइवेट वाहन से एसीबी चौकी कोटा के लिये रवाना हुयी तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को मौके से रूखसत किया गया। समय 1.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्ताशुदा आरोपीगण श्रीमती प्रीती खुबचन्दानी

एवं लेखराज मीणामय जप्तशुदा आर्टीकल्स के प्राईवेट व सरकारी वाहन मय ट्रैप पार्टी एवं स्वतंत्र गवाहान के एसीबी चौकी कोटा पहुंचे तथा जब्तशुदा आर्टिकल धोवन की शिशियां छः, एक मोबाईल का पैकिट, पेन्ट का पैकिट, नामान्तरण संबंधित पत्र, 5 पैन ड्राइव जिसमे 4 शील्डशुदा एवं 1 अनशील्ड, 1 शील्डशुदा मैमोरी कार्ड का पैकिट, रिश्वती राशि 9,000 रूपये। मालखाना प्रभारी सें जमा मालखाना करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान ने अपने पास सें आरोपिया श्रीमति प्रिती की जामातलाशी में मिली वस्तुओ को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया जिन्हे आरोपिया के परिजनों को सुपुर्द किया जावेगा। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान को चौकी सें जायद तैनाती रवाना किया गया। समय 1.40 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के गिरफ्ताशुदा आरोपीगण श्रीमती प्रीती खुबचन्दानी एवं लेखराज मीणा को सुरक्षा की दृष्टि से हवालात में जमा कराने के लिए पुलिस थाना नयापुरा लिए रवाना हुई। समय 2.10 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के गिरफ्ताशुदा आरोपीगण श्रीमती प्रीती खुबचन्दानी एवं लेखराज मीणा को सुरक्षा की दृष्टि से हवालात में जमा करवाकर चौकी हाजा आये।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि आरोपी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी द्वारा परिवादी श्री राजेश कुमार के दादाजी द्वारा परिवादी राजेश कुमार को दान की गई जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के क्रम में दिशा का शुद्धिकरण करवाकर म्यूटेशन खोलने की एवज मे रिश्वत की मांग करना। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन रिश्वत के संबंध में परिवादी सें लेखराज सें बात करने के लिए कहने तथा लेखराज द्वारा रिश्वत की राशि के संबंध में मोबाईल पर 9,000 रूपये लेकर आने के लिए कहने तथा दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी द्वारा रिश्वत राशि के संबन्ध में बात करने तथा रिश्वत राशि परिवादी सें लेखराज को दिलाने तथा लेखराज द्वारा परिवादी सें लेन–देन संबंधी वार्ता कर रिश्वती राशि 9,000/रूपये अपने हाथ सें लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने तथा आरोपी लेखराज के हाथों के धोवन का रंग गन्दमैला व हल्का गुलाबी आने तथा रिश्वत राशि आरोपी लेखराज की पेंट सें बरामद होने तथा पेंट के धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश साडीजा उम्र 43 साल जाति सिन्धी निवासी– 2 F 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा एवं आरोपी लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी सें रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आरोपीगणों को पृथक–पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपिया श्रीमति प्रिती खूबचन्दानी पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश साडीजा उम्र 43 साल जाति सिन्धी निवासी– 2 ए 18 विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार–पटवार मण्डल मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा एवं आरोपी लेखराज पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी–ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी.में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(चन्द्र कवंर)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे, कोटा।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्रीमती प्रीति खूबचन्दानी, पटवारी, पटवार मण्डल रिछडीया, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल, मण्डा, खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा एवं 2. श्री लेखराज पुत्र श्री राजाराम मीणा(प्राईवेट व्यक्ति आरोपिया का मुंशी है) निवासी ग्राम कुदायला, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 451/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3897-3900 दिनांक 25.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा।

25/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।